प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी
आगरा, मैनपुरी, मेरठ, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज(इलाहाबाद), प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या(फैजाबाद), अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराईच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक- 28 दिसम्बर, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-एस0सी0पी0) अनुदान संख्या-83

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक-456/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ीकरण-एससीपी(253)/ 2020-21, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रू0 2142.73 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 1071.365 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या- 13/2020/ 749/ 53-2-2020-2(118)/15, दिनांक 31.08.2020 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी है। प्राविधानित धनराशि की अवशेष धनराशि रू0 1071.365लाख (रू0 दस करोड़ इकहत्तर लाख छत्तीस हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल **संलग्नक** के अनुसार स्वीकृत करते हुए सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 के निर्धारित मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैक / डाकघर में जमा नही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत चालू योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए ही व्यय की जायेगी।

(4) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

(6) एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा। सम्बन्धित जनपदों की वास्तविक आवश्यकता एवं भौतिक लक्ष्यों के आधार पर धनराशि आहरित की जायेगी तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि को सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना के अन्तर्गत होने वाली बचतों में समायोजित किया जायेगा। साथ ही, सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति को भी यथासमय अवगत कराते हुए कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो, सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(8) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(9) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। दुग्ध आयुक्त संबंधित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का निर्धारित मदों में उपभोग सुनिश्चित कराते हुए इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

.....2/-

1- **यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

(10) यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि निर्धारित मदों / चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा।

(12) वित्तीय वर्ष के अन्त तक गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वर्ष वित्तीय स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनावार/जनपदवार एव जिला योजना समिति से परिव्यय प्राप्त कर लिया जायेगा।

(13) उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में आंकडों के सही एवं शुद्ध होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग का होगा।

(14) स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण /व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2020 /बी-1-149/दस- 2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में, शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 तथा अन्य संगत शासनादेश द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक- **''2404-डेरी विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06-वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान-27-सब्सिडी''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 के परिपेक्ष्य में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या- 18/2020 /1176(1)/53-2-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
11- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0/सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ विभाग को बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या-07/26-ब0प्रा0-2015, दिनांक-27.03.15 के सन्दर्भ में प्रेषित।
13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

1- **यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**